



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत की डिजिटल संप्रभुताक

भारत की डिजिटल संप्रभुता

संदर्भ

- हाल ही में संपन्न भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते, जिसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है, में कृषि और श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र - भारत का डिजिटल क्षेत्र - आश्वर्यजनक रूप से अप्रमाणित रह गया है।

डिजिटल संप्रभुता क्या है?

- यह किसी देश की अपने कानूनों, मूल्यों और रणनीतिक हितों के अनुरूप अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे, डेटा एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें शामिल हैं:
 - डेटा स्थानीयकरण और स्वामित्व;
 - विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों का विनियमन;
 - साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्वतंत्रता;
 - डिजिटल अधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा;

भारत के लिए डिजिटल संप्रभुता क्यों महत्वपूर्ण है?

- सुरक्षा:** डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर विदेशी नियंत्रण से निगरानी, तोड़फोड़ और डेटा उल्लंघन का खतरा उत्पन्न होता है।
- अर्थव्यवस्था:** संप्रभुता के बिना, भारत एक डिजिटल उपनिवेश बन जाता है - दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करते हुए अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण खो देता है।
- लोकतंत्र:** सार्वजनिक संवाद को आकार देने वाले एल्गोरिदम और प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और मूल्यों के प्रति जवाबदेह होने चाहिए।
 - संक्षेप में, भारत की डिजिटल संप्रभुता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि भारत का डिजिटल भविष्य भारतीय प्राथमिकताओं द्वारा आकार ले - न कि वैश्विक तकनीकी दिग्गजों या विदेशी सरकारों द्वारा निर्देशित।

हाल ही में हुए भारत-ब्रिटेन एफटीए में क्या छूट गया है?

- स्रोत कोड प्रकटीकरण अधिकारों में परिवर्तन:** भारत ने पूर्व-पूर्व स्रोत कोड पहुँच के अधिकार को स्वीकार कर लिया है - उत्पादों के विपणन से पहले सॉफ्टवेयर कोड तक पहुँच की माँग करने की क्षमता, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के लिए भी।
 - यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे वैश्विक मंचों पर भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है।
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में स्रोत कोड की जाँच महत्वपूर्ण है।
- मुक्त सरकारी डेटा:** भारत ने ब्रिटिश फर्मों को मुक्त सरकारी डेटा तक समान और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।
 - हालाँकि, आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में, डेटा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है - न कि केवल एक पारदर्शिता उपकरण।
 - सरकार द्वारा रखे गए डेटा को वैश्विक रूप से मुलभ बनाने से भारत की घरेलू कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने और डेटा के हथियारीकरण से बचाव करने की क्षमता प्रभावित होती है।

- डेटा का मुक्त प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण: मुक्त व्यापार समझौते में एक प्रावधान शामिल है जिसके तहत भारत को ब्रिटेन के साथ 'परामर्श' करने की आवश्यकता होती है यदि वह किसी अन्य देश को डेटा-संबंधी रियायतें प्रदान करता है।
 - यह 'सर्वाधिक पसंदीदा डिजिटल उपचार' खंड भविष्य की वार्ताओं में भारत की स्थिति को कमज़ोर करता है और डेटा संप्रभुता को लागू करने की उसकी क्षमता को धीरे-धीरे कम कर सकता है।

अन्य चिंताएँ

- डेटा उपनिवेशवाद: भारतीय उपयोगकर्ता डेटा नियमित रूप से विदेशों में संग्रहीत और संसाधित किया जाता है, और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर्याप्त जवाबदेही के बिना भारतीय डेटा का मुद्रीकरण करते हैं।
- प्लेटफॉर्म प्रभुत्व: कुछ विदेशी कंपनियाँ प्रायः अस्पष्ट एल्गोरिदम और सीमित नियामक निगरानी के साथ काम करती हैं।
 - सामग्री नियंत्रण और गलत सूचना नीतियाँ विदेशी मानदंडों द्वारा निर्धारित होती हैं, न कि भारतीय वास्तविकताओं द्वारा।
- कमज़ोर स्वदेशी विकल्प: भारत में वैश्विक तकनीकी प्लेटफॉर्म के लिए मजबूत घरेलू विकल्पों का अभाव है।
 - सोशल मीडिया, खोज और क्लाउड सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल स्टैक का अभाव रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करता है।
- साइबर सुरक्षा कमज़ोरियाँ: भारत विदेशी साइबर सुरक्षा उपकरणों और प्रोटोकॉल पर निर्भर रहता है।
 - स्वदेशी समाधानों के अभाव के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा बाहरी खतरों के संपर्क में है।

परिणाम और प्रभाव

- डिजिटल व्यापार समझौते स्थायी नियम स्थापित करते हैं - वस्तु शुल्कों के विपरीत, ये लगभग अपरिवर्तनीय होते हैं।
- पश्चिमी बिग टेक हितों द्वारा आकार दिए जा रहे उभरते वैश्विक डिजिटल ढांचे में भारत के लिए नियम-पालक बनने का जोखिम है।
- भारत की डिजिटल नीति प्रतिक्रियात्मक है, जो इसे प्रणालीगत कमज़ोरियों के प्रति उजागर करती है, और इसके लिए कोई सक्रिय रोडमैप नहीं है।

भारत की डिजिटल संप्रभुता को सुदृढ़ करने वाले प्रमुख प्रयास और पहल

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): भारत ने आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डिजिलॉकर और दीक्षा जैसी सुरक्षित, समावेशी एवं स्केलेबल डिजिटल सेवाओं के लिए DPI को एक आधारभूत परत के रूप में अग्रणी बनाया है।
 - ये प्लेटफॉर्म भारत की संप्रभु, नागरिक-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता का उदाहरण हैं।
- क्लाउड अवसंरचना और डेटा संप्रभुता: प्रमुख पहलों में मेघराज (GI क्लाउड), राष्ट्रीय डेटा केंद्र (NDC), और क्लाउड सेवा प्रदाताओं (CSP) का पैनलीकरण सम्मिलित हैं।
- AI और डीप-टेक नेतृत्व: डीपटेक फंड ऑफ फंड्स, IIT और IISc में उन्नत तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, एवं AI, क्लाउड और स्वचालन कौशल पर केंद्रित कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहल।
- साइबर सुरक्षा और रणनीतिक अवसंरचना: सबसी(Subsea) केबल विस्तार और TRUST फ्रेमवर्क भारत के डिजिटल आधार को बाहरी खतरों से बचाते हैं और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं।
- डिजिटल गवर्नेंस और क्षमता निर्माण: iGOT कर्मियोंगी प्लेटफॉर्म, ई-ऑफिस पहल और सरकारी ई-मार्केटप्लेस शासन को आधुनिक बनाते हैं और लोक सेवकों को डिजिटल-प्रथम वातावरण में कार्य करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

आगे की राह

- एक व्यापक डिजिटल संप्रभुता नीति तैयार करें जो राष्ट्रीय डिजिटल प्राथमिकताओं को परिभाषित करे।
- यह सुनिश्चित करें कि व्यापार वार्ताकारों को डिजिटल नीति विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दी जाए जिनकी राजनीतिक नेतृत्व तक सीधी पहुँच हो।
- वैश्विक डिजिटल नियम-निर्माण में भारत के हितों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र बनाएँ।
- सुदृढ़ डेटा सुरक्षा कानून बनाएँ:** एक मजबूत डेटा सुरक्षा ढाँचे को अंतिम रूप दें और लागू करें।
 - संवेदनशील क्षेत्रों के लिए डेटा स्थानीयकरण अनिवार्य करें।
- स्वदेशी बुनियादी ढाँचा बनाएँ:** क्लाउड, सर्च और सोशल प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय विकल्पों में निवेश करें।
 - सार्वजनिक खरीद, वित्त पोषण और इनक्यूबेशन के माध्यम से स्टार्टअप्स का समर्थन करें।
- बड़ी तकनीक को विनियमित करें: प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करें।
 - सुनिश्चित करें कि एलगोरिदम और सामग्री मॉडेशन भारतीय कानूनी मानकों के अनुरूप हों।
- साइबर क्षमताओं को सुदृढ़ करें:** स्वदेशी साइबर सुरक्षा उपकरण और प्रोटोकॉल विकसित करें।
 - सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के लिए स्पष्ट भूमिकाओं वाली एक राष्ट्रीय साइबर रणनीति बनाएँ।
- डिजिटल साक्षरता और अधिकारों को बढ़ावा दें:** नागरिकों को डिजिटल अधिकारों और गोपनीयता के ज्ञान से सशक्त बनाएँ।
 - भारतीय मूल्यों में निहित नैतिक तकनीकी विकास को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक उभरती हुई तकनीकी शक्ति के रूप में, भारत के पास डिजिटल संप्रभुता के एक ऐसे मॉडल के साथ नेतृत्व करने की जिम्मेदारी और अवसर दोनों हैं जो समावेशी, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर हो।
- ब्रिटेन के साथ सीईटीए समझौते में भारत की डिजिटल रियायतें एक महत्वपूर्ण नीतिगत निरीक्षण को दर्शाती हैं।
 - चूँकि डिजिटल अवसंरचनाएँ भविष्य की शक्ति गतिशीलता को आकार देती हैं, इसलिए इन रियायतों की लागत किसी भी अल्पकालिक व्यापार लाभ से कहीं अधिक हो सकती है।
- भारत को प्रतिक्रियात्मक कूटनीति से रणनीतिक डिजिटल शासन कला की ओर तेज़ी से बढ़ना होगा - अन्यथा बाह्य तकनीकी नियमों द्वारा शासित विश्व में एक डिजिटल उपनिवेश बनने का जोखिम उठाना होगा।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय संदर्भ में डिजिटल संप्रभुता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत ने अपनी डिजिटल संप्रभुता स्थापित करने के महत्वपूर्ण अवसर किस प्रकार से खोए हैं, और अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे, डेटा एवं प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

